दिनांक 10.05.2023 को जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. अ–उपस्थिति– संलग्नक परिशिष्ट
2. ब– स्थान कलेक्ट्रेट, समय 01.00 अपरान्ह

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदया एवं सदन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें बिन्दुवार कार्रवाई निम्न प्रकार से है:–

बिन्दु सं0 01 : प्रस्तावित उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति–2023 के ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने पर कार्यवाही– महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महानिदेशक/आयुक्त उद्योग के पत्रांक संख्या–143–सी/उ.नि./एम0एस0एम0ई0 नीति/2023–24 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के तहत "प्रस्तावित उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति–2023 के ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने विषयक निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके क्रम में आज दिनांक 10/05/2023 को अपराह्न 01:00 बजे उक्त बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी सदस्यों एवं हितधारकों के समक्ष उक्त नीति का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके उपरान्त सभी सदस्यों एवं हितधारकों से सुझाव मांगे गए। जिसके क्रम में सदस्यों एवं हितधारकों द्वारा दिए गए सुझाव निम्न प्रकार से हैं:–

1. ड्राफ्ट की बिन्दु संख्या–07 में वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के लिए चिन्हित विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियाँ/क्रियाकलाप को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि पूर्व नीति में सेवा क्षेत्र के उद्योग भी सम्मिलित थे। पर्वतीय क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योग के साथ–साथ पूंजी निवेश एवं रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र के उद्योग भी अति महत्वपूर्ण हैं। अतः सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी नीति में सम्मिलित किया जाए।

2. पूर्व नीति में पर्वतीय जनपदों में ब्याज उपादान, विद्युत उपादान, जी0एस0टी0 उपादान, परिवहन उपादान, इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध थीं, वर्तमान नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पर्वतीय जनपदों में उद्यमियों को अपना उद्यम सुचारू रूप से चलाने के लिए उक्त उपादानों की अति आवश्यकता पड़ती है। अतः पूर्व नीति में उनको यथावत् नई नीति में सम्मिलित किया जाए। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सके तथा उद्यमी पर्वतीय जनपदों में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हों। और रोजगार की संभावनाएँ बनी रहें।

3. नीति के बिन्दु संख्या 8.2.3.3 में कुल स्वीकृत/अनुमन्य पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 07 वर्षों में 07 समान किश्तों के किया जाएगा। जोकि तर्कपूर्ण नहीं है। उद्योग स्थापना के पश्चात् उद्योग संचालन हेतु पूंजी उपादान सहायता की शीघ्र आवश्यकता होती है जिससे उद्यमी तत्काल विषम परिस्थितियों में अपने उद्यम को सुचारू रूप से संचालित कर सके अतः सुक्षावित है कि पूंजी उपादान का संवितरण 07 समान किस्तों में न कर एकमुस्त प्रदान किया जाए।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगाये जाने वाले उद्यमियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं अतः सुझाावित है कि हरित श्रेणी के उद्योगों हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के स्तर से ही जारी किया जाए को नीति में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

सभी उद्यमियों द्वारा सुझावित किया गया कि उक्त एम0एस0एम0ई0 नीति–2023 के स्थान पर एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 को ही विस्तारित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0)

अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

सदस्य/सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति,
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति

कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।
पत्रांक 133 /उ0मि0बैठक/2022–23 दिनांक 15/05/2023
प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदया, पिथौरागढ़।
4. समस्त सदस्य, जिला उद्योग मित्र समिति, पिथौरागढ़।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।